संख्या-2/2025/2025/2005822/47-का-2-2025

प्रेषक,

एम0 देवराज,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक: 30 दिसम्बर, 2025

विषय:- उत्तर प्रदेश की राज्याधीन सेवा में अनुमन्य ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्थाओं/ मानक के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने विषयक।

महोदय,

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश की राज्याधीन सेवाओं में उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 के अन्तर्गत ऊर्ध्वाधर (Vertical) आरक्षण एवं उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993, उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाडियों की समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली, 2022 तथा शासनादेश दिनांक 26-02-1999 के माध्यम से महिलाओं को क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण अनुमन्य किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण संबंधी व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन कराने तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एवं अन्य भर्ती बोर्डो/चयन संस्थाओं को भेजे गए अधियाचनों में प्रस्तावित आरक्षण संबंधी रिक्तियों की गणना कर अपने स्तर पर पुन: परीक्षण कराने तथा यदि इस संबंध में कोई विसंगति परिलक्षित हो तो उसका समाधान भी संबंधित आयोग/चयन संस्था से कराकर अधियाचन की कार्यवाही पूर्ण करने का कष्ट करें।

भवदीय,
एम0 देवराज
प्रमुख सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही हैं।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-2/2025(1)/2025/2005822/47-का-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश।
2. अध्यक्ष/ सचिव, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
3. अध्यक्ष/ सचिव, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
4. अध्यक्ष/सचिव, उ0प्र0 शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज।
5. अध्यक्ष/सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ।
6. अध्यक्ष/सचिव, उ0प्र0 विद्युत सेवा आयोग, लखनऊ।
7. सचिव, उ0प्र0 सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल, लखनऊ।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
राजेश प्रताप सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही हैं।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।